**संख्याः-06/2021/76/अड़तीस-9-2021-500(1)/2020टी0सी0**

**प्रेषक,**

**लाल धीरेन्द्र राव,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2021**

**विषयः**-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुये कार्यों पर जी0एस0टी0 के भुगतान के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-9026/कार्य0अनु0/वि0नि0/जी0एस0टी0/2021 दिनांक-25.02.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित विधायक निधि के सापेक्ष सम्पादित कार्यों पर अवशेष जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1618.27077 लाख (रू0 सोलह करोड़ अट्ठारह लाख सत्ताइस हजार सतहत्तर मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमन्य अधिकतम रू0 2.00 करोड़ में से कराये गये वास्तविक कार्यों पर जी0एस0टी0 के रूप में जितनी धनराशि नियमानुसार देय होती है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु वांछित धनराशि सम्बन्धित जनपदों को दी जायेगी, जिसके सापेक्ष वास्तविक देय धनराशि कोषागारों से आहरित करके सम्बन्धित के बैंक खाते में जमा कराते हुए जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4)- इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी- 1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक-24.03.2020 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**2-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-विधायक निधि से कराये गये कार्यों पर जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

**-2/**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2019, दिनांक-24.03.2020 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**लाल धीरेन्द्र राव**
संयुक्त सचिव।

**संख्या-06/2021/76(1)/अड़तीस-9-2021, तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**लाल धीरेन्द्र राव**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।